

क्रमांक 36/अति.व्या./2021

धमतरी, दिनांक 30.11.2021

प्रति,

यमुना नायक
पिता श्री पुरुषोत्तम नायक
ग्राम - टेमरी
जिला- महासमुंद (छ.ग.)

विषय :-

अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण।

संदर्भ :-


अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.10.2021 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा, संचालनालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, दिनांक 18.10.2021

—00—

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपको "प्राणी शास्त्र" विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक 30.11.2021 तक अपनी उपस्थिति दें। अन्यथा आपका आमंत्रण पत्र निरस्त माना जावेगा।

आमंत्रण पत्र स्वीकार करने की स्थिति में निम्नलिखित शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र साथ लावें।

1. सभी दस्तावेजों की मूल प्रति।
2. यह कि मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का शपथ पत्र।
3. शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हूँ।
4. यह की सत्र में केवल एक ही महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करना है।
5. प्रति व्याख्यान 200.00 रु. एक दिन में अधिकतम 04 व्याख्यान, प्रति व्याख्यान 40/45 मिनट का होगा। अधिकतम 20800.00 प्रतिमाह देय है।
6. अतिथि व्याख्याता एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यह पूर्णतः अस्थायी है।


30/11/2021
(डॉ. डी.आर. चौधरी)
PRINCIPAL
Govt. College Kandel
Distt. Dhamtari (C.G.)